उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
सं0 126/2016/ 03(120) /XXVII(8)/2016
दिनांकः देहरादूनः 03 मार्च, 2016

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है,

अतएव, अब, राज्यपाल, "उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर(संशोधन) अधिनियम, 2012" की क्रम संख्या 1(2) पर उल्लिखित व्यवस्था के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या 178/2012/XXXVI(3)/08 दिनांक 13 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित "उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर(संशोधन) अधिनियम, 2012" एवं उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27, वर्ष, 2005) की धारा 43क की उपधारा (1) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सहर्ष निर्देशित करते हैं कि राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के भीतर किसी स्थान के लिए या राज्य के भीतर किसी स्थान से दूसरे राज्य से होते हुए राज्य में किसी स्थान के लिए, जैसा कमिश्नर द्वारा विहित किया जाय, शर्त संख्या 2 द्वारा निर्धारित माल के संचलन का इरादा रखने वाले प्रत्येक परिवहनकर्ता द्वारा निम्न शर्तों के अधीन, लौरी चालान तैयार किया जायेगा;

शर्तें

1– अधिसूचना दिनांक 13 जून, 2012 की क्रम संख्या 6 पर उल्लिखित धारा 43क के प्राविधान दिनांक 04 मार्च, 2016 से प्रवृत्त होंगे।

2– परिवहनकर्त्ता द्वारा, ऐसे माल तथा माल की ऐसी मात्रा या माप या कीमत जैसा कि कमिश्नर, इस निमित्त, एक लिखित सामान्य आदेश द्वारा विहित करें, लौरी चालान तैयार किया जायेगा।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

सं0 126/2016/03(120) /XXVII(8)/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2–निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3–भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।

4–सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।

5–एन0आई0सी0

6–गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनुसचिव

E:/New Vigyapti/ Lorry Challan(15-02-2016)

Scanned by CamScanner

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 126/2016/03(120)/XXVII(8)/2016 dated 03 March, 2016 for general information.

Government of Uttarakhand
VITTA ANUBHAG-8
NO. 126 /2016 / 03(120)/ XXVII(8)/ 2016
Dehradun :: Dated:: 03 March, 2016

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by provision mentioned at serial no. 1(2) of the "Uttarakhand Value Added Tax (Amendment) Act, 2012" Published by Notification No. 178/ 2012 /XXXVI (3) /08 dated 13 June, 2012 and sub-section (1) of section 43A of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to direct that every transporter who intends to transport goods, as specified vide condition no. 2, from any place in the State to any place outside State or from any place in the State to any other place in the State or from any place in the State to any other place in the State passing through any other State, as the Commissioner may specify, shall prepare a Lorry Challan subject to the conditions hereinafter specified;

Conditions

1- The Provisions of Section 43A mentioned at serial no. 6 of the notification, dated 13 June, 2012 shall come into force from 4th March, 2016.

2- The transporter shall prepare a Lorry Challan for such goods and of such Quantity or measure or value as may be specified by the Commissioner, in this behalf, by a general order in writing.

(Amit Singh Negi)
Secretary

:/New Vigyapti/ Lorry Challan(15-02-2016)

Scanned by CamScanner